कृषि यंत्रीकरण हेतु सब–मिशन (SMAM)

संक्षिप्त विवरण :–

सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (SMAM) वर्ष 2014–15 में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। यह सब–मिशन भारत सरकार के नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नालॉजी (NMAET) अंतर्गत आता हैं। इस सब–मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु निम्न घटक संचालित किये जाते है –

घटक – 1

प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रदर्शन के जरिये कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन

(अ) कृषकों के खेतों में उन्नत कृषि यंत्रों का जीवंत प्रदर्शन किया जाता है। जीवंत प्रदर्शन करके यंत्रों की उपयोगिता एवं उनके उपयोग की विधि का व्यवाहरिक ज्ञानवर्धन करना मुख्य उद्देश्य है। यह प्रदर्शन बिना कोई शुल्क लिये आयोजित किये जाते हैं।

(ब) गांव में ही प्रशिक्षण आयोजित कर अथवा चयनित संस्थाओं जैसे केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, (सी. आई.ए.ई) भोपाल (म.प्र.) तथा केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, (सी.एफ.एम.टी.टी.आई) बुधनी (म.प्र.) में भेजकर कृषकों को उन्नत कृषि यंत्रों/मशीनों उनके रख–रखाव, सुरक्षा संबंधित जानकारियों के संबंध मे प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण हेतु कृषकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

(स) भारत सरकार द्वारा अधिकृत विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषि यंत्रों एवं मशीनों की टेस्टिंग की जाती है। इस प्रकार टेस्टेड मशीनें ही योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है। भारत सरकार द्वारा अधिकृत टेस्टिंग संस्थानों की सूची तथा निर्देश तथा निर्धारित टेस्टिंग चार्जेस हेतु क्लिक करें

क्षेत्र चयन, हितग्राही चयन एवं क्रियान्वयन

उपरोक्त (अ) एवं (ब) के लिए ग्रामो का क्लस्टर आधार पर चयन किया जाता है। इस प्रकार चयनित ग्रामों में ही विभिन्न कृषि यंत्रो/ उपकरणों के प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं। इन्हीं ग्रामो के कृषकों को उनके ग्राम मे ही अथवा चयनित संस्थाओं में कृषि यंत्रो/उपकरणों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है।

घटक–2 फसल कटाई उपरांत की प्रोद्योगिकी के प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं वितरण

इस घटक का उद्देश्य कृषकों को फसल कटाई उपरांत की प्रोद्योगिकी एवं प्रबंधन के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना है। जिससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करके कृषको को उपज का अधिक मूल्य दिलाया जा सके। इस कार्यक्रम में फसल कटाई उपरांत के विभिन्न कृषि यंत्रो/उपकरणों के संबंध में प्रशिक्षण एवं जीवन्त प्रदर्शनों के माध्यम से जानकारी प्रदाय की जाती है। फसल कटाई के बाद उपज के मूल्य संवर्धन हेतु उपलब्ध तकनीकों आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। तथा प्रोद्योगिकी संबंधित यूनिटों की स्थापना करने हेतु अनुदान सहायता दी जाती दी है। उपलब्ध अनुदान निम्नानुसार है –

क्र	विवरण	अनु.जाति/जनजाति, लघु–सीमांत कृषक तथा महिला कृषकों हेतु		अन्य कृषकों हेतु	
		देय अधिकतम अनुदान प्रति उपकरण/मशीन प्रति व्यक्ति	प्रतिशत अनुदान	देय अधिकतम अनुदान प्रति उपकरण/मशीन प्रति व्यक्ति	प्रतिशत अनुदान
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	पी.एच.टी यूनिटो की स्थापना – प्राइमरी प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी हस्तांतरण, मूल्य संवर्धन, कम कीमत के वैज्ञानिक विधियों के भण्डार, पैकेजिंग यूनिट तथा उत्पादन क्षेत्रों में फसल अवशेषों के मैनेजमेंट की टेक्नालॉजी संबंधित	रू 1.50 लाख प्रति यूनिट	60%	रू 1.25 लाख प्रति यूनिट	50%

क्षेत्र चयन, हितग्राही चयन एवं कियान्वयन

कार्यक्रम अंतर्गत क्लस्टर आधार पर ग्रामों का चयन किया जाकर प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन आयोजित किये जाते है। प्रशिक्षण कृषके के खेत/ग्राम स्तर पर अथवा चयनित संस्थाओं में भेजकर दिलवाया जाता है। उपज के मूल्य संवर्धन की तकनीकों पर भी विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। सभी प्रशिक्षण निःशुल्क दिलाये जाते है। इसी प्रकार यंत्रों/मशीनों के प्रदर्शन हेतु भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कृषकों को उपज के मूल्य संवर्धन की विभिन्न तकनीकों के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जाता है एवं कृषक

के इच्छुक होने पर उसे प्रोद्योगिकी को स्थापित करने हेतु भी अनुदान सहायता तथा तकनीकी मार्ग–दर्शन प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

घटक–3 कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान सहायता

- विभिन्न अश्वशक्ति (BHP) के ट्रेक्टर्स, स्वचालित कृषि यंत्रों, शक्तिचलित, हस्तचलित, पशुचलित कृषि यंत्रों, टूल्स, आदि के क्रय हेतु अनुदान सहायता दी जाती है। *यंत्रवार विवरण हेतु क्लिक करें*
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित टेस्टिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कृषि यंत्र/मशीन/उपकरण ही योजनांतर्गत प्रदाय किये जायेंगें/पूर्ण विवरण भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की कृषि यंत्रीकरण की वेबसाईट www.farmech.gov.in पर उपलबध है। भारत सरकार द्वारा अधिकृत विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषि यंत्रों एवं मशीनों की टेस्टिंग की जाती है। अधिकृत टेस्टिंग संस्थानों की सूची तथा निर्देश हेतु *क्लिक करें*
-

घटक–4 कस्टम हायरिंग सुविधाओं हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना

कृषकों को किराया आधार पर कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करने के लिये अनुदान सहायता तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध अनुदान निम्नानुसार है –

क्र	मशीनरी बैंक की लागत सीमा	अनुदान प्रतिशत	सीमा राशि
1.	लागत राशि रू. 10 लाख	40 प्रतिशत	रू. 4.00 लाख
2.	लागत राशि रू. 25 लाख	40 प्रतिशत	रू. 10.00 लाख
3.	लागत राशि रू. 40 लाख	40 प्रतिशत	रू. 16.00 लाख
4.	लागत राशि रू. 60 लाख	40 प्रतिशत	रू. 24.00 लाख

घटक–5 हाई–टेक, उच्च तकनीकी क्षमता के हब की स्थापना

लगभग 500 हेक्टेयर अथवा ज्यादा बड़े क्षेत्र में उच्च तकनीकी के कृषि यंत्रों/उपकरणों की किराये पर उपलब्धता बनाने हेतु हाई–टेक हब की स्थापना के लिये अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उपलब्ध अनुदान निम्नानुसार है –

क्र	हाई–टेक हब की लागत सीमा	अनुदान प्रतिशत	सीमा राशि
1.	लागत राशि रू. 100 लाख	40 प्रतिशत	रू. 40.00 लाख
2.	लागत राशि रू. 150 लाख	40 प्रतिशत	रू. 60.00 लाख
3.	लागत राशि रू. 200 लाख	40 प्रतिशत	रू. 80.00 लाख
4.	लागत राशि रू. 250 लाख	40 प्रतिशत	रू. 100.00लाख

घटक–6 चयनित ग्रामों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा

कृषि यंत्रीकरण की दृष्टि से पिछड़े ग्रामों में उन्नत कृषि यंत्रों की उपलब्धता बनाये रखने तथा सतत् प्रदर्शन हेतु माध्यम बनाये रखने की दृष्टि से कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने का प्रावधान है। यह मशीनरी बैंक स्व–सहायता समूहों, सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक समितियों (एफ.पी.ओ) आदि के द्वारा चलाये जा सकते है।

घटक–7 कस्टम हायरिंग सेवाओं के माध्यम से कृषि कार्यों के संपादन हेतु सहायता

कस्टम हायरिंग सेवाओं के माध्यम से चयनित ग्रामों किये गये विभिन्न कृषि कार्यो हेत अनुदान सहायता का प्रावधान है।

घटक–8 केवल उत्तर–पूर्व के पहाड़ी राज्यों हेतु है।

(मध्यप्रदेश हेतु यह घटक उपलब्ध नहीं है।)